

प्रपत्र-3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित कियो जाने वाले प्रस्ताव पर वन संरक्षक/व.म.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1.	परियोजना का नाम	भा.रा.रा. संख्या 111 (नया 130) के बिलासपुर-कटघोरा सेक्शन के अन्तर्गत पथरापाली से कटघोरा (कि.मी. 53.300 से कि.मी. 92.500, पैकेज-2) के सड़क फोरलेन चौड़ीकरण हेतु 83.6421 हेक्ट. वनभूमि अपेक्षित है।
2.	आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	भा.रा.रा.प्रा. प.का.ई. बिलासपुर (छ.ग.)
3.	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वनभूमि की मांग	83.6421 हेक्ट. वनभूमि अपेक्षित है।
4.	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	संरक्षित वन, नारंगी वन तथा राजस्व वन
5.	वनभूमि का विस्तृत विवरण	—
	क. आरक्षित वन	निरंक।
	ख. संरक्षित वन	37.209 हेक्ट.
	ग. राजस्व वन	29.0931 हेक्ट.
	घ. नारंगी वन	17.34 हेक्ट.
6.	आवेदित क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	मिश्रित साईट क्वालिटी — Eco Class III (3B/C2 Southern moist Mixed deciduous forests 5B/C2 Northern Dry Mixed Deciduous Forest घनत्व — 0.3
7.	आवेदित क्षेत्रों में वृक्षों की विवरण	गणना अनुसार कुल संरक्षित /राजस्व वनभूमि में विभिन्न प्रजाति के कुल 11299 वृक्ष स्थित है। (वृक्षों का गणना पत्रक प्रजातिवार संलग्न है।)
8.	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	
9.	आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में मुख्य मार्ग से (पी.डब्लू.डी. /वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	निरंक
10.	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर, बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक) की सीमा के 10 वर्ग किमी. के अंतर्गत है अथवा नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण	नहीं है।

	प्रतिवेदन करे।	
11.	आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वनक्षेत्र विकल्प के रूप, में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे।)	सड़क निर्माण हेतु प्रस्तावित संरक्षित/राजस्व वन भूमि क्षेत्र का चयन भा.रा.रा. संख्या 111 (नया 130) के बिलासपुर-कटघोरा सेक्शन के अन्तर्गत पथरापाली से कटघोरा (कि.मी. 53.300 से कि.मी. 92.500, पैकेज-2) के सड़क फोरलेन चौड़ीकरण के लिये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, बिलासपुर द्वारा किया गया है।
12.	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण दें।	नहीं है।

प्रमाण -पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वनभूमि/राजस्व वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल : सुतरा
दिनांक : 03/12/2019.....


 वनमंडलाधिकारी
 कटघोरा वनमंडल कटघोरा